ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जिला–जयपुर 302026

क्रमांकः प( )/जरारासंविवि/शैक्ष./16/ दिनांकः–

सचिव/प्राचार्य,

सम्बद्ध शास्त्री/आचार्य/शिक्षाशास्त्री महाविधालय,

जरारासंविवि, जयपुर

विषयः–स्मार्ट विलेज योजना के तहत एक गांव गोद लिये जाने के संबंध में।
सन्दर्भः–विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ. 1(21)आरबी/2015/3909 दिनांक 16 मई 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत समस्त संबंद्ध महाविधालय द्वारा एक गांव गोद लिया जाकर ''स्मार्ट विलेज'' के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इन गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी। **"स्मार्ट विलेज" के संबंध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त निर्देश के पत्र क्रमांक निम्नानुसार हैः–**

1. राजभवन सचिवालय के पत्र क्रमांक **f.1(21)** RB/:2015-2495 **Friday 01-04-2016** (संलग्न पत्रों की संख्या 8)
2. मुख्य सचिव ,शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक :3 (10) शिक्षा –4 /2015 जयपुर दिनांक 28.03.2015 (संलग्न पत्रों की संख्या 2)
3. राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक : एफ .1(21) आरबी /2015/3909 दिनांक 16.05.2016
4. राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर के पत्र अ. शा. क्रमांक : एफ .1(21) आरबी /2015/36 दिनांक 10 .05. 2016

नोट :– (उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jrrsusanskrituniversity.co.in से प्राप्त करें।)

अतः आपको सूचित किया जाता है कि ''स्मार्ट विलेज'' योजना के तहत एक गांव गोद लिया जाकर सूचना एवं प्रगति रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय
Sd/-
कुलसचिव

क्रमांकः प( )/जरारासंविवि/शैक्ष./16/ 2961 — 2963 दिनांकः– 15/6/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर
2 निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
3. प्रभारी वेबसाइट को भेजकर लेख है कि ''स्मार्ट विलेज'' योजना के संबंध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त पत्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।

कुलसचिव

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक:

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान,
जयपुर

प्रेषिति:

कुलपति,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,

क्रमांक: एफ.1(21)आरबीं/2015/3909 दिनांक 16 मई, 2016

विषय : 'Smart Village Initiative' के संबंध में।

महोदय/महोदया,

Smart Village Initiative अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा एक गांव गोद लिया जाकर उसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक की गई कार्यवाही पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समीक्षा की गई है एवं 'Smart Village Initiative' का विस्तार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत समस्त संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा एक गांव को गोद लिया जाकर "स्मार्ट विलेज" के रूप विकसित किया जाएगा। "स्मार्ट विलेज" के संबंध में राजभवन द्वारा जारी समस्त निर्देश इन संबद्ध महाविद्यालय द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों पर भी लागू रहेगें तथापि इन गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी।

अतः निवेदन हैं कि उक्त संबंध में संबंद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को 'Smart Village Initiative' के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान कर इस सचिवालय को सूचित करने का श्रम करें। विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही पर आगामी 21 जून को निर्धारित कुलपति समन्वय समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।

भवदीय

(हरीश कुमार)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

urgent
Regd

18/5

1238/VCsey
19/5/16

UAD/ नोडल अधिकारी
19/5/16

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
प्राप्ति सं. 716
दिनांक 20/5/16

Genral Forwarding - 2010

...स.
...ज्यपाल

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

सत्यमेव जयते

अत्यावश्यक/स्पीड पोस्ट

अ0शा0क्रमांकः एफ.1(21)आरबी/2015/36
दिनांक 10 मई, 2016

प्रिय प्रो. शर्मा,

कृपया Smart Village Initiative के संबंध में राजभवन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संदर्भ लेवें।

गोद लिए गए गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु जल संसाधनों का **सदुपयोग व संरक्षण महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक हैं।** जल स्त्रोतों के सृजन एवं संरक्षण की कड़ी में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि प्रत्येक गोद लिए गए गांव में वर्षा जल के भण्डारण हेतु तालाब की आवश्यकता का आंकलन किया जाए। तत्पश्चात् आवश्यकता अनुसार स्थानीय पंचायत/प्रशासन से परामर्श कर इस प्रकार के तालाब हेतु उचित स्थान का चयन किया जाए। तालाब निर्माण जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय विकास योजनाओं जैसे कि मनरेगा आदि के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त कर किया जाए। उक्त कार्यवाही आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कर ली जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त तालाब के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कर उचित देखभाल की जावे। यह सभी कार्य विश्वविद्यालय के Smart Village नोडल अधिकारी की देख–रेख में किया जाए।

उक्तानुसार तालाब निर्माण की समीक्षा आगामी कुलपतिगण की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.06.2016 में की जाएगी।

स्पाटर

सद्भावी,

(श्रेया गुहा)

Urgent

1189/vcell
17/5/16

प्रो0 विनोद शर्मा,
कुलपति,
जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान
संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।

Regi
17/5/16

1656/16
नोडल अधिकारी (आदर्श गांव) / GAD
17/5/16

654
18/5/16